राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 43/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–13.03.2024

GCMS ID-2024/15

1. ओमप्रकाश आ0 छीतरलाल जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. कालू आ0 छीतर जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. शंकर आ0 छीतर जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. धापु पत्नी छीतर जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. फुला पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. मैना पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. यशोदा पुत्री छीतर जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री अनिल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :– स्वंय

निर्णय दिनांक :– 12/09/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 303 खसरा संख्या 686 रकबा 0.8741 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 26 खसरा संख्या 685 रकबा 0.2428 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागा प0म0 धाबाईयों का नयागांव तह0 हिण्डोली में विरिथत है, प्रार्थी अपने हिस्से पर भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग सुदामा पुत्र छीतर संरक्षक सरपरस्त धापु दर्ज हो रहा है। प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, मार्कशीट आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश दर्ज है तथा उक्त दस्तावेजात की आयु के अनुसार प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है। प्रार्थी के पिता छीतर जी थे, तथा छीतरजी के सुदामा नाम का कोई पुत्र नहीं था, परन्तु प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था में घर में सुदामा के नाम से भी जाना जाता था एवं पुकारा जाता था, इसी कारणवश पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिताजी की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी ओमप्रकाश के स्थान पर सुदामा का इन्द्राज कर दिया है उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, राशन कार्ड, बैंक डायरी, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश दर्ज है तथा प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम नाबालिग सुदामा दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभी भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी ओमप्रकाश ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर नाबालिग सुदामा के स्थान पर ओमप्रकाश दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 15.02.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी, प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम नाबालिग सुदामा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम ओमप्रकाश दर्ज करवावे। भूमिया ग्राम धाबाईयों का नयागांव पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 303 खसरा संख्या 686 रकबा 0.8741 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 26 खसरा संख्या 685 रकबा 0.2428 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागा प०म० धाबाईयों का नयागांव तह० हिण्डोली के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नाबालिग सुदामा पुत्र छीतर सरपस्त माता धापु के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर ओमप्रकाश आ० छीतर दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वाबजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध दिनांक 07.03.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित चरणों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/ 1244 दिनांक :–17.07.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम धाबाईयों का नयागांव के खाता संख्या 26 व 303 में प्रार्थी का नाम नाबालिग सुदामा पुत्र छीतर ना0बा0 की वली माता धापू दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बरों में दर्ज नाबालिग सुदामा पुत्र छीतर ना0बा0 की वली माता धापू व ओमप्रकाश पुत्र छीतर एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज नाबालिग सुदामा पुत्र छीतर ना0बा0 की वली माता धापू के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र छीतर दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र छीतर है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, जन–आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता डायरी, जाति प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश पुत्र छीतर दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव पटवार मण्डल धाबाईयों का नयागांव के खाता संख्या 26, 303 में दर्ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सहखातेदार नाबालिग सुदामा पुत्र छीतर ना0बा0 की वली माता धापू के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र छीतर शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 12.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

12/09/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)